

तारीख हुकम

हुकम या कार्यवाही भय लघुदस्तावर जत्र

नम्बर य तारीख
अहकाम जो इस
हुकम की तालीम
में जारी हुए

प्राथना पत्र पत्थरगढ़ी

दिनांक: 15/10/20

होकर पूर्व में लैरी है। जो पत्र लिख
होकर भीमल पत्रवली है। कावपूर
काभील काण एक हाजिर अदालत
में भागे है। अतः अप्रार्थी संख्या
1 से 8 के विरुद्ध एक पक्षीय
कार्यवाही अमल में लाई जाती है।
वास्ते बहस पत्रवली दिनांक
14-10-2020 को पेश हो।

14.10.2020

पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थीया उपस्थित।
प्रकरण में बहस वकील प्रार्थीया एक पक्षीय सुनी गई।
दौराने बहस वकील प्रार्थीया ने प्रकरण में अप्रार्थीगण
के विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाने
से एवं अप्रार्थी संख्या 9 की ओर से श्री दिनेश सिंह
शेखावत एड0 व अप्रार्थी संख्या 10 व 11 की ओर से
श्री हरिप्रसाद गुप्ता एड0 के द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र
पत्थरगढ़ी प्रस्तुत कर प्रार्थीया द्वारा चाहे गये
पत्थरगढ़ी करवाने में कोई आपत्ति नहीं होना जाहिर
करते हुए अपनी-अपनी सहमति व्यक्त किये जाने से
प्रस्तुत प्रकरण का निस्तारण आज ही किये जाने का
निवेदन किया। वकील प्रार्थीया के निवेदन पर प्रकरण
का अवलोकन किया गया। अवलोकन से स्पष्ट है कि
अप्रार्थीगण के विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में
लाई जा चुकी है एवं अप्रार्थी संख्या 9, 10 व 11 की
ओर से उनके अधिवक्तागण के द्वारा जवाब प्रार्थना
पत्र पत्थरगढ़ी प्रस्तुत कर प्रार्थीया द्वारा चाहे गये
पत्थरगढ़ी करवाने में कोई आपत्ति नहीं होकर सहमति
व्यक्त किया जाना प्रकट होता है। पत्रावली व पत्रावली
पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया।



सुमल्ला देवी लताकर कृषिकार्यवाही

तारीख हुकम

हुकम या कार्यवाही भव लघुहस्ताक्षर जत्र

प्रार्थना पत्र पत्थरगढ़ी

दिनांक 29.01.2020

नम्बर या कार्यवाही
अदालत को प्रेषित
हुकम की कार्यवाही
में जारी है।

अवलोकन करने पर पाया गया कि प्रार्थीया की खातेदारी व कब्जा काश्त की कृषि भूमि खसरा नम्बर 1638, 1639, 1653, 1654, 1655 कुल किता 5 कुल रकबा 0.9700 हैक्टर अवस्थित तन् ग्राम परसरामपुरा तहसील श्रीमाधोपुर में स्थित है। जिसकी प्रार्थीया खातेदार काश्तकार है। प्रार्थीया ने अपनी खातेदारी व कब्जा काश्त की कृषि भूमि का विधिवत तरीके से सीमाज्ञान दिनांक 29.01.2020 को तहसीलदार श्रीमाधोपुर के आदेश पर पटवारी हल्का सरगोठ के द्वारा मौके पर जाकर करवाया गया है। जिसकी फोटो प्रतिलिपि संलग्न है। प्रार्थीया ने अपनी उक्त भूमि का मौके पर सीमाज्ञान रिपोर्ट दिनांक 29.01.2020 के अनुसार पत्थरगढ़ी पुलिस ईमदाद से करवाये जाने का निवेदन किया है।

वकील प्रार्थीया के निवेदन पर प्रार्थना पत्र व उपलब्ध दस्तावेजात् यथा फर्द मौका रिपोर्ट सीमाज्ञान बाबत सहमति इत्यादि का अवलोकन किया गया। जिनके अवलोकन से प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों की पुष्टि होती है। अतः ऐसी स्थिति में प्रकरण में पत्थरगढ़ी की कार्यवाही किया जाना उचित समझता हूँ।

वकील प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य पाये जाने पर स्वीकार किया जाता है तथा प्रकरण में पटवारी हल्का सरगोठ द्वारा दिनांक 29.01.2020 को किए गए सीमाज्ञान के मुताबिक कृषि भूमि खसरा नम्बर 1638, 1639, 1653, 1654, 1655 कुल किता 5 कुल रकबा 0.9700 हैक्टर

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर (सीकर)

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय लपुहस्ताक्षर जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तालीम में जारी हुए
	अवस्था पत्थरगढी	म.न. - 15/2020

अवस्थित तन् ग्राम परसरामपुरा पटवार हल्का सरगोठ तहसील श्रीमाधोपुर की पत्थरगढी की कार्यवाही किए जाने हेतु तहसीलदार श्रीमाधोपुर को आदेश दिया जाता है कि वे पत्थरगढी की फीस भू.अ.निरीक्षक फीस 900/- रुपये एवं दो पटवारियान् की फीस 600/- रूपयें प्रति पटवारी की दर से 1200/-रूपये कुल 2100/- रूपयें जरिये चालान राज्य कोष में जमा ली जावें तथा मूल चालान की प्रति पेश होने पर पटवारी हल्का सरगोठ द्वारा दिनांक 29.01.2020 को किए गए सीमाज्ञान के मुताबिक वर्तमान भौतिक मौका स्थिति में बिना परिवर्तन किये व सींव डोल को बिना हिलाये यदि आवश्यक हो तो पुलिस ईमदाद से पत्थरगढी की कार्यवाही करने हेतु तहसीलदार श्रीमाधोपुर को तहरीर आदेश जारी हो। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफतर हो।

(लक्ष्मीकान्त गुप्ता)
 उपखण्ड अधिकारी
 श्रीमाधोपुर (सीकर)

यह निर्णय आज दिनांक 14.10.2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(लक्ष्मीकान्त गुप्ता)
 उपखण्ड अधिकारी
 श्रीमाधोपुर (सीकर)